

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्यालय बैढन
जिला-सिंगरौली म0प्र0

क्र0 03 / 2024

सिंगरौली, दिनांक : 25.01.2024

-: विविध आदेश :-

मैं के.पी. सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिंगरौली, द0प्र0सं0 की धारा-410 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अभिषेक कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैढन, जिला सिंगरौली के न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण क्रमांक आरसीटी 718/2023 शासन विरुद्ध मुन्ना पासवान (सुविधा की दृष्टि से) तथा आरसीटी 510/2016 शासन विरुद्ध सुशांत राय वगैरह को अन्य प्रकरण के साथ विचारण हेतु प्रत्याहरित कर इस न्यायालय (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली) में विधिवत निराकरण हेतु वापस लिया जाता है।

(के.पी. सिंह)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला सिंगरौली (मुख्या-बैढन)म0प्र0

पृ0क्र0 / $\frac{10}{4}$ / सी0जे0एम0 / 2024

सिंगरौली, दिनांक-25.01.2024

प्रतिलिपि:-

- 1- कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सिंगरौली की ओर सादर सूचनार्थ।
- 2- निष्पादक लिपिक, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिंगरौली।
- 3- श्री अभिषेक कुमार, जे.एम.एफ.सी. बैढन, जिला सिंगरौली म0प्र0।
- 4- सिस्टम एनालिस्ट बैढन, जिला सिंगरौली म0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रकरणों को संबंधित न्यायालय में उपरोक्तानुसार सी.आई.एस. के माध्यम से तत्काल अंतरण करें।
- 5- अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ बैढन जिला सिंगरौली म0प्र0 को सूचनार्थ।

(के.पी. सिंह)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला सिंगरौली (मुख्या-बैढन)म0प्र0